कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 के निमय–21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2026–27 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:–

कः लिपिक संवर्ग कार्मिक

क(1):अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्रीमती विनीता त्रिवेदी, प्रधान सहायक	कार्यालय–मु0प0चि0अ0 उत्तरकाशी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी	जनहित

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होगें।

ह0/–(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।

।। कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

पृ0सं0 828 /स्था0–3/स्थाना0–लिपिक संवर्ग/2026–27/ दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।

2–सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,उत्तरकाशी/टिहरी गढवाल।

4–सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 के निमय–21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2026–27 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:–

कः लिपिक संवर्ग कार्मिक

लिपिक संवर्ग कार्मिकों का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्री जगवीर सिहं रावत, प्रधान सहायक	कार्यालय–मु0प0चि0अ0 नरेन्द्रनगर टिहरी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होगें।

ह0/–(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।

।। कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

पृ0सं0 838 /स्था0–3/स्थाना0–लिपिक संवर्ग/2026–27/ दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
2–सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी गढवाल/उत्तकाशी।
4–सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 के निमय–21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2026–27 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:–

लिपिक संवर्ग का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्रीमती संध्या शर्मा, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय–मु0प0चि0अ0 चमोली	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून	निजि अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होगें।

ह0/–(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।

।। कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

पृ0सं0 829 /स्था0–3/स्थाना0–लिपिक संवर्ग/2026–27/ दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
2–सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,चमोली/देहरादून।
4–सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिहं जंगपांगी)
अपर निदेशक।